इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013—ज्येष्ठ 24, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ-10-02-13-तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्वराज संस्थान संचालनालय के अन्तर्गत **वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान** स्थापित कर सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है:—

नियम

1. **सम्मान का नाम.**—यह सम्मान **वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान** के नाम से जाना जावेगा.

2. **उद्देश्य.**—यह सम्मान देश की सुरक्षा, कर्तव्य हेतु बलिदान, अदम्य साहस, वीरता, नारी उत्थान, सामाजिक पुनर्जागरण एवं श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिए महिला को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया.

3. **संख्या.**—यह सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जायेगा. यह 'एकल' सम्मान होगा अर्थात् यह सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा.

4. **सम्मान की राशि.**—इस सम्मान के अन्तर्गत पुरस्कार के रूप में **रुपये 2.00 लाख** (दो लाख रुपये) की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जायेगी.

5. **पात्रता.**—यह सम्मान देश की सुरक्षा, कर्तव्य हेतु बलिदान, अदम्य साहस, वीरता, नारी उत्थान, सामाजिक पुनर्जागरण एवं श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिए महिला को दिया जायेगा.

6. **चयन प्रक्रिया.**—सम्मान के उद्देश्य कि अनुरूप कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, महिलाकर्मियों, समाजशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों, पत्रकारों तथा प्रदेश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं इतिहास तथा स्वातंत्र्य समर के क्षेत्र में सक्रिय शोध संस्थानों से सम्मान हेतु अनुशंसा/नामांकन की प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी. जिन्हें शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय चयन समिति/निर्णायक मण्डल के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकेगा.

6.1 **सम्मान घोषणा.**—अनुशंसित व्यक्ति से सम्मान ग्रहण करने के लिए सहमति प्राप्त की जावेगी तथा शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्मान घोषित किया जावेगा. घोषणा के पूर्व सभी कार्यवाही गोपनीय रहेगी.

6.2 **सम्मान असहमति.**—सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित महिला द्वारा इसे स्वीकार न किये जाने/असहमति पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जा सकेगा.

7. **निर्णायक मण्डल का गठन एवं अधिकार.**—7.1 **निर्णायक मण्डल गठन.**—सम्मान के चयन के लिए प्रतिवर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक मंडल का गठन स्वराज संस्थान संचालनालय के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा किया जावेगा. निर्णायक मंडल में देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित समाजसेवी, बुद्धिजीवियों, समाजशात्रियों, लेखकों, पत्रकारों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जायेगा. सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही संचालक, स्वराज संस्थान द्वारा की जावेगी.

7.2 **निर्णायक मंडल सदस्य संख्या.**—सम्मान की गरिमा के अनुरूप लब्ध प्रतिष्ठित, निरपवाद, असंदिग्ध एवं दीर्घ अनुभवी न्यूनतम पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जायेगा, जबकि कोरम के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति एवं निर्णय में सहभागिता आवश्यक होगी.

7.3 **चयन मापदण्ड.**—सम्मान के चयन का मापदण्ड संबंधित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना तथा असंदिग्ध एवं निरपवाद योगदान रहेगा. चयन के समय अनुशंसित महिला का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है. सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्ठि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जायेगा. इस सम्मान से एक बार सम्मानित महिला को पुनः यह सम्मान प्रदान नहीं किया जायेगा.

7.4 **निर्णायक मंडल अधिकार.**—निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियां/अनुशंसाओं के अतिरिक्त निर्णायक मंडल स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा.

निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा. निर्णायक मंडल का निर्णय/अनुशंसा शासन के लिए बंधनकारी होगा.

यदि निर्णायक मंडल सम्मान के लिए किसी भी महिला को उपयुक्त नहीं पाता है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा.

8. **अनुशंसा अस्वीकृति.**—विशिष्ट परिस्थितियों में यदि निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और एक से अधिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में शासन को निर्णायक मंडल की अनुशंसा अस्वीकार करने का अधिकार होगा और यह चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकेगी.

9. **संवितरण अधिकारी.**—यह सम्मान प्रतिवर्ष संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा वितरित किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.